प्रेस विज्ञप्ति
24.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी मैसर्स गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीबीपीपीएल), इसके निदेशकों अर्थात् सतीश कुमार, प्रदीप कुमार, रमन गुप्ता, विनोद गुप्ता और अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ के समक्ष 21.11.2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, चंडीगढ़ ने 23.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने मैसर्स गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स जीबीपीपीएल और उसके निदेशकों ने विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों के बदले बुकिंग राशि या आवासीय/वाणिज्यिक संपत्तियों की बिक्री के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में और सुनिश्चित रिटर्न के बहाने से उनकी मेहनत की कमाई का धन इकट्ठा करके घर-खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। जबकि, घर-खरीदारों और निवेशकों का पैसा परियोजनाओं के विकास पर खर्च करने के बजाय, कंपनी द्वारा बैंक खाता हस्तांतरण और नकद निकासी के माध्यम से पैसा उनसे संबंधित संस्थाओं, अन्य व्यक्तियों और व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया। इन निधियों को मैसर्स जीबीपीपीएल की अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने के लिए सहयोगी कंपनियों के माध्यम से आंशिक रूप से उपयोग किया गया था और इस प्रकार नए घर खरीदारों और निवेशकों को नई परियोजनाओं के लॉन्च की आड़ में अधिक पैसा निवेश करने का लालच दिया गया। कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं में घर-खरीदारों और निवेशकों द्वारा निवेश किए गए पैसे का उपयोग मैसर्स जीबीपीपीएल और उसके निदेशक द्वारा कभी भी इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। इसके बजाय घर-खरीदारों की मेहनत की कमाई को मैसर्स जीबीपीपीएल और उसके निदेशकों के व्यक्तिगत लाभ के लिए उड़ा दिया गया।

जांच के दौरान, पीएमएलए, 2002 के तहत संस्थाओं/व्यक्तियों के विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई। तलाशी के दौरान, दस्तावेज़/रिकॉर्ड (डिजिटल रिकॉर्ड सहित)/संपत्तियां बरामद और जब्त की गईं।

इसके अलावा, मैसर्स जीबीपीपीएल के निदेशकों के रूप में अर्थात् सतीश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, रमन गुप्ता और विनोद गुप्ता लगातार अवसरों के बावजूद ईडी जांच में शामिल होने में विफल रहे, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चंडीगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 01.08.2023 द्वारा सतीश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, विनोद गुप्ता और रमन गुप्ता को "घोषित अपराधी" घोषित किया।

पीएमएलए जांच के परिणामस्वरूप, इंडी द्वारा मेसर्स जीबीपीपीएल और अन्य संबंधित व्यक्तियों के नाम पर खरीदी गई 305.51 करोड़ रुपये की अपराध की आय से संबंधित विभिन्न चल और अचल संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें कुर्क किया गया। ये संपत्तियां पंजाब के जीरकपुर और मोहाली में स्थित हैं।

आगे की जांच जारी है.